कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(144)

नि/निगरानी/जबलपुर/भू-रा/2017/706

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

सर्किट बैंच जबलपुर (मध्य प्रदेश)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक- ---------------/2017

1. काशी भारती आत्मज- रामभारती (मृत)
द्वारा विधिक प्रतिनिधि:--

(331)

अ/- विजय भारती उम्र लगभग-38 वर्ष,
ब/- संजय भारती उम्र लगभग-35 वर्ष,
स/- गोविन्द भारती उम्र लगभग-30 वर्ष,
द/- दिलीप भारती आयु- लगभग-22 वर्ष,
इ/- शशि भारती आयु लगभग-30 वर्ष,
फ/- इन्द्रा भारती आयु लगभग-37 वर्ष,
क्रमांक-अ से ई क्रमी पुत्र व पुत्री स्व0 काशी भारती
ग/- श्रीमति गोमती बाई आयु लगभग-65 वर्ष,
पत्नि स्व0 काशी भारती
सभी निवासी- ग्राम-चौकीताल तहसील व जिला
जबलपुर (मध्य प्रदेश) ----आवेदक/याचिकाकर्ता

श्री विनय कुमार दुबे अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता रीडर
01 MAY 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

1. हिमांशु यादव पिता बालगोविन्द यादव
2. सुधांशु यादव पिता बालगोविन्द यादव,
दोनों निवासी-43 रामनगर आधारताल, जबलपुर
3. श्रीमति पार्वती बाई पत्नि श्री हनुमान गिरी
निवासी- इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
4. श्रीमति गायत्री पत्नि राजेन्द्र पुरी
निवासी- छतरपुर मध्य प्रदेश
5. कु0 ममता पुत्री घनश्याम भारती
निवासी-ग्राम चौकीताल तह. व जिला-जबलपुर ---अनावेदक/गैर अपीलार्थीगण
6. रामू भारती आ. घनश्याम भारती
7. दीनदयाल आत्मज- घनश्याम भारती

8. जीवन भारती आत्मज- घनश्याम भारती

क्रमांक-6 से 8 सभी निवासी-ग्राम चौकीताल,

तहसील व जिला-जबलपुर (मध्य प्रदेश) -----अनावेदक/अपीलार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक- 02.09.2016 एवं इस आदेश से उत्पन्न पुनर्विलोकन आदेश दिनांक-01.02.2017 एवं 03.04.2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय मण्डल के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:--

याचिका के तथ्य

1. यह कि, याचिकाकर्ता/अपीलार्थीगण ने अनावेदक/उत्तरवादी क्रमांक-1 व 2 के विरूद्ध द्वितीय अपील क्रमांक-549/अ-6/2005-06 इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रथम अपील क्रमांक- 31/अ-6/2005-06 हिमांशु व अन्य विरूद्ध रम्मू भारती व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.06.2006 को निरस्त किया जावे और याचिकाकर्तागण के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जावे। नामांतरण का यह विवाद अधीनस्थ आयुक्त महोदय के समक्ष मुख्य विवाद का विषय रहा हैं।

2. यह कि, तहसीलदार महोदय के समक्ष परिवार के मूल पुरूष रामभारती गोस्वामी द्वारा अपने जीवन काल में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि उनकी कूटरचित ~~वकालत~~ मुख्त्यारनामा के आधार पर उनके पुत्र काशी भारती के लड़के दिलीप भारती द्वारा अनावेदक उत्तरवादी क्रमांक-1 व 2 के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन किया है जो कि अधिकारिता विहिन हैं और इसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक– निगरानी / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 1706

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21.08.18 | निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 549 अ–6 / 05–06 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–4–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय व्यवहार न्यायालय जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 27–अ / 96 में पारित आदेश दिनांक 22–8–96 के कम में विचार करते हुये नायव तहसीलदार जबलपुर ने प्रकरण कमांक 1 अ–27 / 96–97 में पारित आदेश दिनांक 15–5–97 से वादित भूमियों का बटवारा / नामान्तरण किया है। इस आदेश की जानकारी होते हुये भी तहसील न्यायालय में 16–8–04 को पुनः नामांत्रण का आवेदन दिया गया और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिनांक 15–5–97 को नजरन्दाज करके पुनः आदेश पारित कर दिया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने प्रकरण कमांक 31 अ–6 / 04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–6–2006 से निरस्त किया है।<br>3/ अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 1–6–2006 के विरूद्व रम्मू भारती एंव अन्य ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 549 / अ–6 / 05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक | |

2–9–16 से अपील निरस्त की है। आदेश दिनांक 2–9–16 के विरूद्ध अपीलकर्ताओं ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 1–2–17 से पुनरावलोकन आवेदन अस्वीकार किया। अपीलकर्ताओं ने पुनरावलोकन आवेदन अस्वीकार होने के वाद फिर से एक पुनरावलोकन आवेदन आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 3–4–2017 से विस्तृत विवेचना करते हुये निरस्त कर दिया। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 3–4–2017 , आदेश दिनांक 1–2–17, आदेश दिनांक 2–9–16 को निरस्त करने की मांग करते हुये यह यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

4/ आवेदकगकण के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 1–6–2006 के अवलोकन से तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 2–9–16, आदेश दिनांक 1–2–17 तथा आदेश दिनांक 3–4–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 2–9–16 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 1–6–2006 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य